भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1994/आश्विन 7, 1916
No. 406] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1994/ASVINA 7, 1916

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1994

सा.का.नि. 729(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश सं 9) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "केबल आपरेटर" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल सेवा उपलब्ध कराता है या अन्यथा केबल टेलीविजन नेटवर्क को नियंत्रित करता है या उसके प्रबंध और प्रचारन के लिए उत्तरदायी है;

(ख) "केबल सेवा" से अभिप्रेत है, कार्यक्रमों का केबलों द्वारा पारेषण, जिसके अन्तर्गत किन्हीं प्रसारण टेलीविजन संकेतों का केबलों द्वारा पुनः पारेषण भी है;

(ग) "केबल टेलीविजन नेटवर्क" से बहुत अभिदाताओं द्वारा ग्रहण के लिए केबल सेवा उपलब्ध कराने के लिए परिकल्पित कोई ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जो बन्द पारेषण पथों के सैट और सहयुक्त संकेत जनन, नियंत्रण और वितरण उपस्कर से मिल कर बनी है;

(घ) "कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई कम्पनी अभिप्रेत है;

(ङ) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "व्यष्टि" से निम्नलिखित अभिप्रेत है —

(i) कोई व्यष्टि, जो भारत का नागरिक है;

(ii) व्यष्टियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसके सदस्य भारत के नागरिक हैं;

(iii) कोई कम्पनी, जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत समादत्त शेयर पूंजी भारत के नागरिकों द्वारा धारित है;

(छ) "कार्यक्रम" से कोई टेलीविजन प्रसारण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(i) वीडियो कैसेट रिकार्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर के माध्यम से फिल्मों, फीचरों, नाटकों, विज्ञापनों और धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(ii) कोई श्रव्य या दृश्य या दृश्य-श्रव्य सीधा प्रदर्शन या प्रस्तुति और "कार्यक्रम सेवा" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(ज) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश 1994 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) "अभिदाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उसके द्वारा केबल आपरेटर को उपदर्शित किसी स्थान पर केबल टेलीविजन नेटवर्क का संकेत, उसे किसी अन्य व्यक्ति को आगे पारेषित किए बिना ग्रहण करता है।

3. भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन :—

(1) भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में प्ररूप 1 में किया जाएगा और वह प्रत्येक बारह मास के पश्चात् नवीकरणीय होगा।

(2) आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा और उसे प्ररूप 1 में उसके कार्यालय में परिदत्त किया जाएगा।

(3) प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा :—

(क) पोस्टल आर्डर सं तारीख डाकघर द्वारा पचास रुपए की फीस; और

(ख) प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज।

4. आवेदनों की पड़ताल :—रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, नियम 3 के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर अध्यादेश की धारा 4 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की पड़ताल करेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण :—रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक अध्यादेश के उपबंधों को पूरा करता है, प्ररूप 3 में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण, आवेदक को मंजूर नहीं किया जा सकता है, वहां वह आवेदक को प्ररूप 4 में सूचित करेगा।

6. कार्यक्रम कोड :—(1) केबल सेवा में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जाना चाहिए :—

(क) जो सुरुचि या शिष्टता का अतिवर्जन करता है,

(ख) जिसमें भिन्न देशों की आलोचना अन्तर्विष्ट है;

(ग) जिसमें धर्मों या समुदायों पर आक्षेप या ऐसे दृश्य या शब्द अन्तर्विष्ट हैं जो धार्मिक समूहों के संबंध में अवमानपूर्ण हैं या जो साम्प्रदायिक रुख को संप्रवर्तित करता है;

(घ) जिसमें कोई बात अश्लील, मानहानिकारक, विमर्शित, मिथ्या और व्यंजनापूर्ण गर्भोक्ति तथा अर्द्धसत्य अन्तर्विष्ट हैं;

(ङ) जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिलने या भड़कने की संभावना है या जिसमें कोई बात विधि-व्यवस्था को बनाए रखने के विरुद्ध अन्तर्विष्ट है या जो राष्ट्र विरोधी रुख को संप्रवर्तित करता है;

(च) जिसमें कोई ऐसी बात अन्तर्विष्ट है जो न्यायालय अवमान की कोटि में आती है;

(छ) जिसमें राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति दोषारोपण अन्तर्विष्ट हैं;

(ज) जिसमें राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई बात अन्तर्विष्ट है;

(झ) जो किसी व्यष्टि को व्यक्तिगत रूप से या कतिपय समूहों, देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के खंडों की आलोचना करता है, निंदा करता है या अपमान करता है;

(ञ) जो अंधविश्वास या विवेक शून्य विश्वास को प्रोत्साहित करता है;

(ट) जो किसी नारी की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग को किसी रीति से इस प्रकार चित्रण करके बदनाम करता है जिसका अश्लील या नारी का अनादर सूचक प्रभाव है

या जिससे सार्वजनिक सदाचार या नैतिक को विकृत, भ्रष्ट होने या क्षति पहुंचने की संभावना है ;

(ठ) जो बच्चों को बदनाम करता है ;

(ड) जिसमें ऐसे दृश्य या शब्द अन्तर्विष्ट हैं जो कतिपय जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों के चित्रांकन में अपमानजनक, व्यंग्यात्मक और दंभ-भरा रुख प्रतिबिम्बित करते हैं ;

(ढ) जो चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

(2) केबल आपरेटर को अपनी केबल सेवा में ऐसे कार्यक्रम करने का प्रयास करना चाहिए जो नारी के सकारात्मक, सौम्यता की नेतृत्व-भूमिका, नैतिक और चरित्र निर्माण वाले गुणों को साकार करते हैं।

(3) केबल सेवा में वयस्कों के लिए अभिप्रेत कार्यक्रम सामान्यत: रात्रि 11.00 बजे के पश्चात् और सुबह 6.00 बजे के पहले किए जाने चाहिए।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि बच्चों के लिए अभिप्रेत कार्यक्रमों में कोई बुरी भाषा या हिंसा के सुस्पष्ट दृश्य न हों।

(5) केबल सेवा में बच्चों के लिए अनुपयुक्त कार्यक्रम ऐसे समय में नहीं दिखाए जाने चाहिए जब अधिकांश बच्चे देख रहे हों।

7. विज्ञापन कोड—(1) केबल सेवा में रखा जाने वाला विज्ञापन इस प्रकार परिकल्पित किया जाएगा जिससे कि वह देश की विधियों के अनुरूप हो और उससे अभिदाताओं की नैतिकता, शिष्टता और धार्मिक भावनाओं पर आघात नहीं पहुंचना चाहिए।

(2) ऐसा कोई विज्ञापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो —

(1) किसी मूलवंश, जाति, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता है ;

(2) भारत के संविधान के किसी उपबंध के विरुद्ध है ;

(3) अपराध करने, अव्यवस्था फैलने या हिंसा करने, या विधि के भंग करने के लिए लोगों को भड़काने की प्रवृत्ति रखता है या किसी भी प्रकार से हिंसा या अश्लीलता का गुणगान करता है,

(4) वांछनीय रूप में अपराधिता प्रस्तुत करता है;

(5) राष्ट्रीय संप्रतीक या संविधान के किसी भाग या किसी राष्ट्रीय नेता या किसी राजकीय उच्च पदस्थ के व्यक्तित्व का शोषण करता है ;

(6) नारी चित्रण करते समय, सभी नागरिकों के लिए सांविधानिक गारंटी का अतिक्रमण करता है। विशिष्टतया ऐसा कोई विज्ञापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो नारी के अपमानजनक प्रतिरूप को साकार करता है नारी का चित्रण ऐसी रीति से नहीं किया जाना चाहिए जो निष्क्रिय दब्बू गुणों को महत्व देता है और उन्हें कुटुम्ब तथा सोसाइटी में अधीनस्थ, गौण भूमिका का निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। केबल आपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी केबल सेवा में किए जाने वाले कार्यक्रमों में नारी रूप का चित्रांकन सुरुचिपूर्ण और सौंदर्यपरक है और सुरुचि तथा शिष्टता के स्थापित मानदंडों के भीतर है।

(7) देहज, बाल-विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से लाभ उठाता है।

(3) कोई ऐसा विज्ञापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसके उद्देश्य पूर्णत: या मुख्यत धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति के है, विज्ञापनों का लक्ष्य किसी धार्मिक या राजनैतिक उद्देश्य की ओर नहीं होना चाहिए।

(4) विज्ञापित माल या सेवाओं में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में यथा उल्लिखित कोई त्रुटि या कमी नहीं होगी।

(5) किसी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ अंतर्विष्ट नहीं होंगे जिनसे जनता को यह अनुमान लगाने की संभावना हो कि विज्ञापित उत्पाद या इसके संघटकों में से किसी में विशेष या चमत्कारिक या अलौकिक गुण या क्वालिटी है, जिसका साबित किया जाना कठिन है।

(6) विज्ञापन का चित्र और श्रव्य वस्तु अत्यधिक रूप से प्रबल नहीं होगी।

(7) कोई ऐसा विज्ञापन जिससे बच्चों की सुरक्षा संकट में पड़ती हो या उनमें विकृत व्यवहार में कोई रुचि उत्पन्न होती हो या जिसमें उन्हें भिक्षा मांगते हुए या अभद्र या अशिष्ट रीति से दिखाया जाता है, केबल सेवा में नहीं रखा जाएगा।

(8) सभी विज्ञापनों में अशिष्ट अश्लील, उद्दीपक, अरुचिकर या घृणोत्पादक प्रसंग या विवेचन से बचना होगा।

(9) कोई ऐसा विज्ञापन, जो भारतीय विज्ञापन अभिकरण संगम, मुंबई द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित विज्ञापन अभिकरणों के लिए पद्धति-मानकों का अतिक्रमण करता है, केबल सेवा में नहीं रखा जाएगा।

(10) सभी विज्ञापन स्पष्ट रूप से कार्यक्रम से सुभिन्न होने चाहिएं और कार्यक्रम में किसी भी रीति से बाधा

IndiaCode

नहीं पहुंचना चाहिए, अर्थात पर्दे के निचले भाग का कार्यक्रम के साथ-साथ स्थिर या चलते शीर्षक रखने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

8. रजिस्टर—प्रत्येक केबल आपरेटर प्ररूप 5 में वर्ष के प्रत्येक मास के लिए एक रजिस्टर रखेगा जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है।

[फा. सं. 9/7/93—पी बी सी (वाल्यूम-II)]

नवीन चावला, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

नियम 3(1) देखिए

[दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है]

केबल आपरेटर की हैसियत से रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के विकिरण के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

प्रधान डाकपाल

प्रधान डाकघर

केबल आपरेटर की हैसियत से रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए, आवेदन

1. (क) आवेदक का नाम (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यष्टियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय)

 (ख) आयु

2. (क) पता (कार्यालय)

 (ख) टेलीफोन नम्बर (यदि कोई है)

3. (क) राष्ट्रीयता

 (ख) जन्म/अधिवास सं.

4. (क) रजिस्ट्रीकरण फीस संलग्न है हां/नहीं

 (ख) पोस्टल आर्डर संख्या तारीख

 डाकघर

5. वह क्षेत्र जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क कार्य कर रहा है/स्थापित किया जाना प्रस्तावित है

6. दिए गए/दिए जाने के लिए प्रस्तावित चेनलों की संख्या (नाम सहित)

7. (क) क्या टी.वी. आर.ओ. का उपयोग हो रहा है हां/नहीं

 (ख) यदि हां, तो संख्या और आकार हां/नहीं

 (ग) अवस्थान

8. केबल सेवा में सम्मिलित दूरदर्शन उपग्रह (सेटलाइट) चेनलों के नाम

9. पूर्वतम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है हां/नहीं
 (केवल रजिस्ट्रीकरण नवीकरण के लिए भरा जाए)

10. प्ररूप 2 में घोषणा संलग्न है हां/नहीं

मैं/हम आवेदक (व्यष्टि/फम (कम्पनी/व्यष्टियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय) घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त तथ्य सभी प्रकार से सही हैं।

आवेदन (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यष्टियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय) के हस्ताक्षर

स्थान : नाम

तारीख : पता

जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।

प्ररूप 2

[नियम 3(1-3) देखिए]

मैं/हम, आवेदक (व्यष्टि/फार्म/कंपनी व्यष्टियों का संगम/व्यष्टियों का निकायों) केबल आपरेटर की हैसियत से रजिस्ट्रीकरण/केबल आपरेटर की हैसियत से रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए, यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि—

(1) मैं/हम यह सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि मेरा/हमारा केबल टेलीविजन नेटवर्क सभी समयों पर, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 के उपबन्धों के अनुसार चलाया जायेगा।

(2) मैं/हम ऐसे किसी व्यक्ति को जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 के अधीन केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने का पात्र नहीं है, अपने केबल टेलीविजन नेटवर्क को चलाने की अनुज्ञा नहीं दूंगा/देंगे/उसको चलाने में सहयोजित नहीं करूंगा/करेंगे;

(3) मैं/हम, अपने केबल टेलीविजन नेटवर्क के अभिदाता (ओं) के समाधानप्रद रूप में अपनी पूरी योग्यता से केबल सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा/करेंगे

(4) मैं/हम, अपनी पूरी योग्यता से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा/करेंगे कि मेरे/हमारे केबल टेलीविजन नेटवर्क का किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।

(5) मैं/हम अपने केबल टेलीविजन नेटवर्क को चलाने के लिए सुसंगत प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति (अनापत्ति प्राप्त करूंगा/करेंगे)।

IndiaCode

(6) मैं/हम भारत के भीतर केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाए जाने की बाबत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निदेश का पालन करूंगा/करेंगे ।

आवेदक के हस्ताक्षर
(व्यष्टि/फर्म/व्यष्टियों का संगम/
व्यष्टियों का निकाय)

स्थान : नाम
तारीख : पता :

*जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें ।

प्ररूप 3

(नियम 5 देखिए)

भारत सरकार

प्रधान डाकघर

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

संख्यांक

श्री/श्रीमती/मैसर्स———————जो ———————का निवासी है,———————शहर/नगर में निम्नलिखित पता———————————पर केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने के लिए तारीख———— से बारह मास की अवधि के लिए केबल आपरेटर (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यष्टियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय) की हैसियत से रजिस्ट्रीकृत है/हैं ।

1. उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या———————है ।

2. यह प्रमाणपत्र केबल ऊपर वर्णित परिसर के लिए विधिमान्य है ।

3. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्तान्तरणीय है ।

4. यह प्रमाणपत्र ऊपर उपदर्शित कालावधि तक या धारक जब तक केबल सेवा चलाता है या जहां प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तब तक विधिमान्य बना रहेगा ।

स्थान : प्रधान डाकपाल
तारीख : प्रधान डाकघर
———————(नगर/शहर)

केबल आपरेटर के परिसर में प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा ।

*जो समुचित हो, उस पर निशान लगाएं ।

प्ररूप 4

[नियम 5 (3) का परन्तुक देखिए]

सेवा में

———————

———————

श्रीमान ———————

केबल आपरेटर की हैसियत से रजिस्ट्रीकरण के लिए आपके आवेदन तारीख———————के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कारण(णों) से आवश्यक रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता :—

(1) आवेदन अपूर्ण है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण फीस नहीं दी गई है ।

(3) आवेदन भारत का नागरिक नहीं है ।

(4) आवेदन कम्पनी की इक्यावन प्रतिशत से न्यून समादत्त शेयर पूंजी भारत के नागरिकों द्वारा धारित है ।

स्थान : प्रधान डाकपाल
तारीख : प्रधान डाकघर

प्ररूप 5

(नियम 8 देखिए)

प्रत्येक केबल आपरेटर द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

क्रम संख्या	प्रच्छन्न चैनल	कार्यक्रम ——से ——तक की अवधि	तारीख	मास	वर्ष
(1)	(2)	(3) (4)	(5)	(6)	(7)
1					
2.					
3.					
4.					
5					

केबल आपरेटर के हस्ताक्षर

नई दिल्ली, तारीख 29-9-94

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1994

G.S.R. 729(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Cable Television Networks

(Regulation) Ordinance, 1994 (Ordinance No. 9 of 1994), the Central Government makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cable Television Networks Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) "cable operator" means any person who provides cable service through a cable television network or otherwise controls or is responsible for the management and operation of a cable television network ;

(b) "cable service" means the transmission by cables of programmes including re-transmission by cables of any broadcast television signals ;

(c) "cable television network" means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signals generation, control and distribution equipment, designed to provide cable service for reception by multiple subscribers :

(d) "company" means a company defined in section 3 of the Companies Act, 1956 ;

(e) "form" means form appended to these rules ;

(f) "person" means :—

(i) an individual who is a citizen of India :

(ii) an association of individuals or body of individuals, whether incorporated or not, whose members are citizens of India ;

(iii) a company in which not less than fifty one per cent of the paid up share capital is held by the citizens of India :

(g) "Programme" means any television broadcast and includes :—

(i) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials through video cassette recorders or video cassette players ;

(ii) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation ; and the expression "programming service" shall be construed accordingly ;

(h) "registering authority" means the registering authority notified under clause (h) of section 2 of the Cable Television Networks (Regulation) Ordinance 1994 ;

(i) "subscriber" means a person who receives the signal of cable television network at a place indicated by him to the cable operator, without further transmitting it to any other person.

3. Application for registration as a cable television network in India.—(1) Every application for registration as a cable television network in India shall be made in writing in Form 1 and shall be renewable after every twelve months.

(2) The application shall be addressed to the Registering Authority and delivered to his office in Form 1.

(3) Every application shall be accompanied by :—

(a) a fee of Rs. 50/- vide Postal order No.———dated ———————on———————Post Office : and

(b) the requisite documents mentioned in Form 1 and 2.

4. Examination of Applications.—(1) On receipt of an application under rule 3 (of registering authority shall examine the application having regard to the provisions of section 4 of the Ordinance.

5. Registration.—On being satisfied that the applicant fulfils the provisions of the Ordinance, the registering authority shall issue a registration certificate in Form 3.

Provided that where the registering authority is satisfied that the registration cannot be granted to the applicant, he shall inform the applicant in Form 4.

6. Programme code.—(1) No programme should be carried in the cable service which :—

(a) Offends against good taste or decency ;

(b) Contains criticism of friendly countries ;

(c) Contains attack on religions or communities or visuals or words contemptuous of religious groups or which promote communal attitudes ;

(d) Contains anything obscene, defamatory, deliberate, false and suggestive innuendos and half truths ;

(e) Is likely to encourage or incite violence or contains anything against maintenance of law and order or which promote anti-national attitudes ;

(f) Contains anything amounting to contempt of court ;

(g) Contains aspersions against the integrity of the President and Judiciary ;

(h) Contains anything affecting the integrity of the Nation ;

(i) Criticizes, maligns or slanders any individual in person or certain groups, segments of social, public and moral life of the country ;

(j) Encourages superstition or blind belief ;

(k) Denigrates women through the depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent, or derogatory to women, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals ;

(l) Denigrates children ;

(m) Contains visuals or words which reflect a slandering, ironical and snobbish attitude in the portrayal of certain ethnic, linguistic and regional groups ;

(n) Contravenes the provisions of the Cinematograph Act, 1952.

(2) The cable operator should strive to carry programmes in his cable service which project women in a positive, leadership role of sobriety, moral and character building qual

(3) Programmes meant for adults should normally be carried in the cable service after 11 p.m. and before 6 a.m.

(4) Care should be taken to ensure that programmes meant for children do not contain any bad language or explicit scenes of violence.

(5) Programmes unsuitable for children must not be carried in the cable service at times when the largest numbers of children are viewing.

7. Advertising Code.—(1) Advertising carried in the cable service shall be so designed as to conform to the laws of the country and should not offend morality, decency and religious susceptibilities of the subscribers.

(2) No advertisement shall be permitted which :—

(i) derides any race, caste, colour, creed and nationality

(ii) is against any provision of the Constitution of India.

(iii) tends to incite people to crime, cause disorder violence or breach of law or glorifies violence obscenity in any way;

(iv) presents criminality as desirable;

(v) exploits the national emblem, or any part of Constitution or the person or personality of national leader or a State dignitary;

(vi) in its depiction of women violates the Constitutional guarantees to all citizens. In particular, no advertisement shall be permitted which projects a derogatory image of women. Women must not be portrayed in a manner that emphasises possive, submissive qualities and encourages them to play a subordinate, secondary role in the family and society. The cable operator shall ensure that the portrayal of the female form, in the programmes carried in his cable service is tasteful and aesthetic, and is within the well established norms of good taste and decency ;

(vii) Exploits social evils like dowry, child marriage.

(3) No advertisement shall be permitted the objects whereof are wholly or mainly of a religious or political nature; advertisements must not be directed towards any religious or political end.

(4) The goods or services advertised shall not suffer from any defect or deficiency as mentioned in Consumer Protection Act, 1986.

(5) No advertisement shall contain references which are likely to lead the public to infer that the product advertised or any of its ingredients has some special or miraculous or super natural property or quality which is difficult of being proved.

(6) The picture and the audible matter of the advertisement shall not be excessively 'loud'.

(7) No advertisement which endangers the safety of children or creates in them any interest in unhealthy practices or shows them begging or in an undignified or indecent manner shall not be carried in the cable service.

(8) Indecent, vulgar, suggestive repulsive or offensive themes or treatment shall be avoided in all advertisements.

(9) No adversement which violates the standars of practice for advertising agencies as approved by the Advertising Agencies Association of India, Bombay, from time to time shall be carried in the cable service.

(10) All advertisement should be clearly distinguishable from the programme and should not in any manner interfere with the programme viz., use of lower part of screen to carry crawlings, static or moving alongside the programme.

8. Register.—Each cable operator shall maintain a register in Form 5 for each month of the year for which the registration is granted.

[F. No. 9/7/93-PBC. Vol. II]

NAVIN CHAWLA, Jt. Secy.

FORM 1

[See rule 3 (i)]

(To be submitted in duplicate)

Form of application for registration/renewal of registration as a cable operator.

To

The Head Postmaster
Head Post Office

_____.

Application for registration/renewal of registration as a cable operator.

1. (a) Name of Applicant (individual/firm/company/association of persons/body of individuals)*

(b) Age

2. (a) Address (Office).

(b) Telephone number (if any).

3. (a) Nationality

(b) By birth/domicile

4. (a) Registration fee enclosed Yes/No

(b) Postal order No.————dated————on———— Post office.

5. Area in which cable television network is working/proposed to be set up.

6. Number of channels being provided/ proposed to be provided (with names).

7. (a) Whether using TVRO Yes/No

(b) If Yes number and size

(c) Location.

8. Names of Doordarshan satellite channels included in cable service.

9. Copy of earlier registration certificate enclosed. (To be filled in only for renewal of registration). Yes/No

10. Declaration if Form 2 enclosed Yes/No

I/We————the applicant(s) (individual/firm/company/association of persons/body of individuals) do hereby declare that the above facts are correct in all respects.

Signature of Applicant

(individual/firm/company/association of persons/body of individuals)

Place :

Date :

Name————

Address————

* Score out the word or words which are not applicable.

FORM 2

[See rule 3(1-3)]

I/We————the applicant(s) (individual/firm/company/association of persons/body of individuals)* for registration as a cable operator/renewal of registration as a cable operator do hereby declare that:—

(i) I/We shall ensure that my/our cable television network shall be run in accordance with the provisions of the Cable Television Networks (Regulation) Ordinance, 1994 at all times.

(ii) I/We shall not permit/associate any person who is not eligible to run a cable television network under the Cable Television Networks (Regulation) Ordinance, 1994 to run/with the running of my/our cable television network.

(iii) I/We shall strive to the best of my/our ability to provide cable service to the satisfaction of the subscriber(s) of my/our cable television network.

(iv) I/We shall strive to the best of my/our ability to ensure that my/our cable television network is not used for any unlawful purpose.

(v) I/We shall obtain the necessary approval/clearance from the relevant authority for the running of my/our cable television network.

(vi) I/We shall abide by any direction issued by the Central Government in respect of the running of a cable television network within India.

Signature of Applicant
(individual/firm/company/
association of persons/body
of individuals)

Name———————

Address———————

———————

Place :

Date :

*Score out the word or words which are not applicable.

FORM 3

(See rule 5)

Government of India

Head Post Office

———————.

REGISTRATION CERTIFICATE

NUMBER

Shri/Shrimati/M/s.——————— resident of ——————— is registered as a cable operator (individual, firm, company, association of persons or body of individuals)* for running a cable television network at the following address ——————— in the city/town of ——————— for a period of twelve months with effect from ———————. His Registration Number is ———————.

2. This Certificate is only valid for the premises stated above.

3. This Registration Certificate is not transferable.

4. The Certificate shall remain valid for the period indicated above or till the holder carries on the cable service or where the surrender of the certificate is accepted by the competent authority.

Head Post Master
Head Post Office
———————(town/city)

Place :

Date :

TO BE DISPLAYED PROMINENTLY ON THE PREMISES OF THE CABLE OPERATOR.

*Tick whichever is appropriate.

FORM 4

[See proviso to rule 5(3)]

To

———————

Sir,

Reference your application dated——— ———for registration as a cable operator. The necessary registration cannot be granted to you for the following reason(s) :—

(i) Application is incomplete.

(ii) Registration fee has not been tendered.

(iii) Applicant is not a citizn of India.

(iv) Less than fifty one percent of the paid-up share capital of the applicant company is held by citizens of India.

Head Post Master
Head Post Office

Place :

Date :

FORM 5

(See rule 8)

Form of register to be maintained by each cable operator.

Sl. No.	Encrypted channel/ Programme	Duration From	to	Date	Month	Year
1	2	3	4	5	6	

———————

Signature of cable operator.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994